

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(18)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 20/12/19

:: आदेश ::

श्री राजेश चौधरी, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं05, जयपुर महानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री मुकेश कुमार गुर्जर, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं04, जयपुर महानगर को अपने संबंधित न्यायालय में पैरवी के साथ-साथ अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं05, जयपुर महानगर में अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं05, जयपुर महानगर के पद पर नियुक्ति होने या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से




(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर।
- 9 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं04 व 05, जयपुर महानगर।
- 10 जिला कलक्टर, जयपुर।
- 11 कोषाधिकारी, जयपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक को पालनार्थ।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।



(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण